<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **संदीप कुमार शर्मा,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक अपील संख्या : **22/2019**

रामपाल पुत्र रघुनाथ, आयु 28 वर्ष,
निवासी ग्राम झुंवासा थाना गेण्डोली जिला बून्दी (राज.)

-अपीलार्थी/अभियुक्त

<u>विरूद्ध</u>

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बून्दी

-प्रत्यर्थी/परिवादी

<u>तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाखेरी जिला बून्दी श्री अजय प्रताप सिंह द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 44/2016 (सी.आई.एस.संख्या 44/2016) राजस्थान राज्य विरूद्ध रामपाल अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए, 406 भा.दं.सं. के अपराध में दिनांक 22.01.2019 को पारित निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध अपील</u>

उपस्थित:-
1. श्री नारायण सिंह गौड़, अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता.
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनांक: 01.06.2026</u>**

1. अपीलार्थी/अभियुक्त रामपाल ने हस्तगत फौजदारी अपील विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाखेरी जिला बून्दी के नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 44/2016 (सी.आई.एस. संख्या 44/2016) में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 22.01.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त रामपाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कर 03 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/-रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 02 माह के साधारण कारावास एवं धारा 406 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कर 03 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/-रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 02 माह के साधारण कारावास के दण्ड से

Authenticated Document

दण्डित किया गया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिनी संजू बाई ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक परिवाद इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि उसका विवाह अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ दिनांक 24 मई, 2010 को मीणा समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में हिन्दू रीति-रिवाज से सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं द्वारा परिवादिनी को स्त्रीधन दिया गया था। परिवादिनी के पिता ने उसे सोने के टोप्स, चांदी की तोड़िया व अभियुक्त रामपाल को 11,000/-रूपये नकद व सोने की अंगूठी दी थी। विवाह के पश्चात से ही अभियुक्त रामपाल परिवादिया से मारपीट करने लगा व एक मोटर साईकिल और सोने की चैन मांगने लगा। परिवादिनी ने मना कर दिया तो अभियुक्त रामपाल ने परिवादिया की चोटी पकड़कर उसके साथ मारपीट की। परिवादिया ने अपने पीहर वालों को उक्त घटना के बारे में बताया तो उसके माता-पिता व भाई ने समझाया किन्तु मुल्जिमान नहीं माने और कहा कि इसे अपने साथ ले जाओ, वह दूसरे घर की बहू लेकर आएंगे, जहां से उनकी मांग पूरी हो सके। करीब 13-14 माह पूर्व परिवादिया के ससुराल वालों ने परिवादिया के साथ गंभीर रूप से मारपीट की और उसे करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश की। दूसरे दिन परिवादिया का पति, सास, ससुर व ननद परिवादिया के साथ मारपीट कर ग्राम गुहाटा छोड़कर चले गये। परिवादिया ने दहेज का सामान मांगा तो देने से इंकार कर दिया। डेढ़ महीने पश्चात परिवादिया पुत्र वियोग से बेचैन रहने के कारण वापस ससुराल चली गई। दिनांक 05.10.2015 को परिवादिया अपने देवर के तीये की बैठक में गई तो मुल्जिमान उसके साथ मारपीट पर उतारू हो गये। अभियुक्त रामपाल ने परिवादिया का मंगलसूत्र तोड़ दिया व कानों के टोप्स निकाल लिए। अभियुक्त रामपाल ने परिवादिया के पुत्र रौनक को छीन लिया और कहा कि यदि वह मोटरसाईकिल व सोने की चैन की मांग पूरी कर देती तो उसे मार नहीं खानी पड़ती। अभियुक्त रामपाल व उसके माता-पिता ने परिवादिया को उसका स्त्रीधन देने से साफ इंकार कर दिया। इत्यादि।

3. इस परिवाद पत्र को धारा-156 (3) दं.प्र.सं. के अधीन अनुसंधान हेतु प्रेषित किये जाने पर पुलिस थाना देईखेड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-

Authenticated Document

161/2015 अन्तर्गत धारा-498 ए एवं 406 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं आवश्यक सम्पूर्ण अनुसंधान के उपरान्त अपीलार्थी/अभियुक्त रामपाल के विरुद्ध धारा 498ए एवं 406 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराधों हेतु अभियोग पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराधों में प्रसंज्ञान लिया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2016 को अपीलार्थी /अभियुक्त रामपाल को धारा 498ए एवं 406 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो उसने आरोपित अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यू-1 रामलाल, पी.डब्ल्यू-2 धनराज, पी.डब्ल्यू-3 संजू, पी.डब्ल्यू-4 नाथूलाल, पी.डब्ल्यू-5 मूर्ति बाई, पी.डब्ल्यू-6 धनराज, पी.डब्ल्यू-7 ओमशंकर उर्फ प्रेमशंकर, पी.डब्ल्यू-8 भंवर सिंह, पी.डब्ल्यू-9 पृथ्वीराज व पी.डब्ल्यू-10 श्रीकृष्ण गढ़वाल के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.10 को प्रदर्शित करवाया गया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त का धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षण किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताकर स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया तथा साक्ष्य सफाई में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

7. तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय-पक्ष को सुनकर आक्षेपित निर्णय दिनांकित 22.01.2019 द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 498ए एवं 406 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये दोषसिद्ध किया जाकर उक्तानुसार दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत अपील मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की गई है:-

(1) विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.01.2019 वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

Authenticated Document

(2) विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे प्रथमदृष्टया अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होते हों। परिवादिनी द्वारा झूंठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों को आधार बनाकर अपीलार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में बेबुनियाद झूंठा फंसाया गया है।

(3) अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादिनी से कभी किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांगा है तथा उसे किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया गया है, न ही उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, किन्तु इसके बावजूद भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने में कानूनी भूल की है।

(4) वास्तविकता यह है कि परिवादिनी संजू अपीलार्थी/अभियुक्त के मकान के सामने दुकान लगाने वाले रामलक्ष्मण की दुकान पर रात को 11.00 बजे जाती थी। परिवादिनी व उक्त दुकानदार रामलक्ष्मण के मध्य अवैध सम्बन्ध थे, इसी बात को लेकर परिवादिनी व अपीलार्थी के मध्य विवाद था। अपीलार्थी/ अभियुक्त के द्वारा उक्त मामले का विरोध करने के कारण ही परिवादिनी द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। उक्त तथ्य विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद आक्षेपित दोषसिद्धि का निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है।

(5) अन्त में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय व दण्डादेश को अपास्त किया जावे।

8. उभय-पक्ष को ध्यानपूर्वक एवं विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।

9. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के ज्ञापन में उठाये गये आधारों की पुनरावृत्ति करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है, जिससे प्रथमदृष्टया अपीलार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होते हों। उनका यह भी तर्क

Authenticated Document

रहा है कि वास्तव में परिवादिनी संजू अपीलार्थी/अभियुक्त के मकान के सामने दुकान लगाने वाले रामलक्ष्मण की दुकान पर रात को 11.00 बजे जाती थी तथा परिवादिनी व उक्त दुकानदार रामलक्ष्मण के मध्य अवैध सम्बन्ध थे, इसी बात को लेकर परिवादिनी व अपीलार्थी के मध्य विवाद था तथा अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा उक्त मामले का विरोध करने के कारण ही परिवादिनी द्वारा उसे इस मामले में झूंठा फंसाया गया है, जबकि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादिनी से कभी किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांगा गया है तथा उसे किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया गया है, न ही उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। अतः अपीलार्थी/ अभियुक्त की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

10. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुये, उपलब्ध साक्ष्य का तार्किक विश्लेषण कर आक्षेपित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। अन्त में अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

11. उभयपक्ष के तर्को पर गहनतापूर्वक मनन किया गया तथा अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।

12. इस न्यायालय की सुविचारित राय में हस्तगत अपील के सही एवं न्यायपूर्ण निर्णय के लिए निम्न बिन्दु विचारणीय है:-

''आया विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 22.01.2019 द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त रामपाल को धारा-498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये दोषसिद्ध करने में कोई तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है ?''

13. उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में उभय पक्ष द्वारा की गई बहस के परिप्रेक्ष्य में विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये जाने से यह प्रकट रहा है कि हस्तगत

Authenticated Document

प्रकरण परिवादिनी संजू बाई के परिवाद पत्र के आधार पर संस्थित रहा है, जिसमें उसने मुख्य रूप से यह अंकित किया है कि उसका विवाह अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ दिनांक 24 मई, 2010 को मीणा समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में हिन्दू रीति-रिवाज से सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं द्वारा परिवादिनी को स्त्रीधन दिया गया था। परिवादिनी के पिता ने उसे सोने के टोप्स, चांदी की तोडिया व अभियुक्त रामपाल को 11,000/-रूपये नकद व सोने की अंगूठी दी थी। विवाह के पश्चात् से ही अभियुक्त रामपाल परिवादिया से मारपीट करने लगा व एक मोटर साईकिल और सोने की चैन मांगने लगा। परिवादिनी ने मना कर दिया तो अभियुक्त रामपाल ने परिवादिया की चोटी पकड़कर उसके साथ मारपीट की। करीब 13-14 माह पूर्व परिवादिया के ससुराल वालों ने परिवादिया के साथ गंभीर रूप से मारपीट की और उसे करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश की। दूसरे दिन परिवादिया का पति, सास, ससुर व ननद परिवादिया के साथ मारपीट कर ग्राम गुहाटा छोड़कर चले गये। परिवादिया ने दहेज का सामान मांगा तो देने से इंकार कर दिया। रामपाल ने परिवादिया के पुत्र रौनक को छीन लिया और कहा कि यदि वह मोटरसाईकिल व सोने की चैन की मांग पूरी कर देती तो उसे मार नहीं खानी पड़ती। अभियुक्त रामपाल व उसके माता-पिता ने परिवादिया को उसका स्त्रीधन देने से साफ इंकार कर दिया।

14. परिवादिनी संजू पी.डब्ल्यू.3 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुई है तथा उसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी शादी दिनाकं 24.05.2010 को रामपाल के साथ बून्दी सम्मेलन में हुई थी, जिसमें आलमारी, कूलर, टीवी, बड़ा बक्सा, सिलाई मशीन, कुर्सियां तथा सोने चांदी के जेवरात दिये थे। वर्ष 2012 में उसके लड़का हुआ, उसके बाद उसका पति रामपाल उसके साथ सोने की चेन और मोटर साईकिल की मांग करते हुये मारपीट करने लगा तथा करन्ट लगाने की कोशिश की। उसने रामपाल से कहा कि तू नहीं रख रहा है तो स्त्रीधन वापस दे किन्तु उसने देने से मना कर दिया। जब इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण किया गया तो इसने यह कहा कि उसकी शादी सम्मेलन में हुई थी तथा सामान सम्मेलन वालों ने दिया था। वह अपने ससुराल करीब चार साल रही थी। इन चार सालों में उसके साथ मारपीट की गई थी। उसके गांव गुहाटा

Authenticated Document

पर सत्यप्रकाश व रामपाल ने आकर दहेज की मांग की थी। रामलक्ष्मण की दुकान उनके मकान के सामने ही है। इस सुझाव को गलत बताया कि वह रामलक्ष्मण की दुकान पर रात को 11 बजे जाती हो।

15. पी.डब्ल्यू.4 नाथूलाल परिवादिनी संजू का पिता है, जिसने संजू की शादी रामपाल के साथ बून्दी सम्मेलन में होना तथा दहेज का सामान सम्मेलन वालों द्वारा दिया जाना किन्तु रामपाल द्वारा संजू से मोटरसाईकिल व चेन की मांग कर मारपीट किया जाना तथा शादी का मंगलसूत्र छीन लिया जाना और वापस नहीं लौटाने की साक्ष्य दी है तथा प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि दहेज का सामान सम्मेलन वालों ने दिया था। रामपाल ने कभी भी उसके घर गुहाटा में आकर दहेज की मांग नहीं की। तीये की बैठक में हुई मारपीट की रिपोर्ट कराई थी, किन्तु उसकी प्रति पत्रावली में नहीं है। इसी प्रकार परिवादिनी की माता पी.डब्ल्यू.5 मूर्तिबाई ने संजू की शादी बून्दी सम्मेलन में रामपाल के साथ होना तथा शादी में घर गृहस्थी का पूरा सामान व सोने चांदी के जेवर दिये जाना बताते हुये लड़का होने के बाद रामपाल द्वारा संजू को दुख देना तथा संजू से चेन व मोटर साईकिल की मांग करना तथा उसके सोने के टोप्स व मंगलसूत्र छीन लिया जाना कथित किया है। प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा कि उसके सामने संजू के साथ रामपाल ने मारपीट की थी। उसके गांव गुहाटा में दो जने आये थे, वहां पर दहेज की मांग की तथा धमकी दी। यह भी कहा कि उसके विवाह को 08 वर्ष हो गये हैं, जिनमें से वह 05 वर्ष अपने ससुराल में रही है। पी.डब्ल्यू.6 धनराज पुत्र नाथूलाल परिवादिनी संजू का भाई है, जिसने संजू की शादी रामपाल के साथ वर्ष 2010 में होना तथा सम्मेलन वालों द्वारा सामान एवं सोने चांदी के जेवर देना तथा उसके लड़का होने के बाद रामपाल द्वारा शराब पीकर संजू के साथ लड़ाई झगड़ा करना व दहेज में चेन और मोटर साईकिल मांगना कथित किया है किन्तु साथ ही प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दहेज के सामान सम्मेलन वालों ने दिये थे। यह भी स्वीकार किया कि बच्चा होने से पूर्व उसे अच्छा रखा था। वह लेने व मिलने गया तब संजू ने उससे कुछ नहीं कहा था, बाद में दहेज की मांग वाली बात बताई थी। थाने में मारपीट की कोई रिपोर्ट नहीं कराई। उसकी बहन रामलक्ष्मण को जानती हो तो उसे पता नहीं है। उसकी बहन रामलक्ष्मण से बातचीत करती हो तो उसे पता

Authenticated Document

नहीं है।

16. अभियोजन की अन्य साक्ष्य को देखा जाये तो पी.डब्ल्यू.1 रामलाल, पी.डब्ल्यू.2 धनराज पुत्र रामचन्द्र एवं पी.डब्ल्यू.7 ओमशंकर उर्फ प्रेमशंकर अभियोजन के पक्षद्रोही साक्षी रहे हैं किन्तु पी.डब्ल्यू.1 रामलाल ने रामपाल का विवाह संजू बाई के साथ बून्दी सम्मेलन में होना तथा जेवरात में क्या दिया, उसका पता नहीं होना और संजू का अपनी मनमर्जी से चले जाने का कथन किया है तथा पक्षद्रोही होने के उपरान्त अभियोजन पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया कि रामपाल के द्वारा दहेज की मांग को लेकर संजू से मारपीट की बात उसने पुलिस को नहीं लिखाई थी। संजू ने रामपाल से अपना सामान मांगा था, वो सामान देईखेड़ा थाने में दे दिया था। बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा कि सम्मेलन में शादी के पैसे दोनों तरफ के रामपाल ने जमा कराये थे, जो सामान दिया गया था, वो सम्मेलन वालों ने दिया था। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.2 धनराज पुत्र रामचन्द्र ने भी रामपाल की शादी वर्ष 2010 में होना बताते हुये सम्मेलन में जाना तथा रामपाल की पत्नी प्रेमी रामलक्ष्मण के साथ रात को निकलकर चली जाना अभिकथित किया है। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने वाली बात पुलिस को नहीं लिखाया जाना बताते हुये बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में कहा कि सम्मेलन में शादी के पैसे दोनों तरफ के रामपाल ने जमा कराये थे और जो सामान दिया गया, वो सम्मेलन वालों ने दिया था। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.7 ओमशंकर उर्फ प्रेमशंकर ने संजू की शादी रामपाल के साथ होना तथा रामपाल द्वारा संजू से उसके माता-पिता द्वारा कुछ नहीं दिये जाने व पैसा व मोटर साईकिल को लेकर लड़ने की साक्ष्य दी है तथा बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि शादी सम्मेलन में हुई थी और दहेज का सामान सम्मेलन वालों ने दिया था। रामपाल ने उसके सामने संजू को नहीं मारा। रामपाल ने उसके सामने दहेज मांगा था, जो गुहाटा में मांगा था। जुआसा में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी रिपोर्ट थाने में दी थी, जो पत्रावली में संलग्न नहीं है। पी.डब्ल्यू.8 भंवर सिंह एवं पी.डब्ल्यू.9 पृथ्वीराज फर्द जब्ती स्त्रीधन के औपचारिक प्रकृति के साक्षीगण हैं जबकि पी.डब्ल्यू.10 श्रीकृष्ण गढ़वाल ने इस प्रकरण के अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाही को अपनी साक्ष्य के माध्यम

Authenticated Document

से अभिकथित किया है।

17. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई उक्तांकित साक्ष्य/सामग्री के अवलोकन से स्पष्टतः यह स्वीकृत स्थिति परिलक्षित हुई है कि परिवादिनी संजू एवं अपीलार्थी/अभियुक्त का विवाह सम्मेलन में हुआ था। परिवादिनी द्वारा यह आक्षेपित किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त रामपाल द्वारा दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की गई है तथा विवाह के समय न्यस्त किये गये स्त्रीधन को उसकी मांग पर नहीं लौटाकर उसका बेईमानी से दुर्विनियोग कर उसको अपने उपयोग में सम्परिवर्तित किया। धारा 498 ए. भा.दं.सं. के अपराध के लिये विधितः यह अपेक्षित है कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता कारित की गई हो, जबकि आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 406 भा.दं.सं. के लिये यह अपेक्षित है कि परिवादिनी को दिया गया स्त्रीधन अभियुक्त द्वारा छीना जाकर अथवा मांगने पर नहीं लौटाकर आपराधिक न्यास भंग किया गया हो।

18. यहां यह उल्लेख किया जाना अत्यन्त समीचीन है कि हमारे समाज में सम्मेलन की प्रथा का प्रचलन ही दहेज प्रथा के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ हुआ था, जिसमें दहेज देने में असमर्थ रहने वाले समाज के कमजोर तबके के व्यक्ति अपने पुत्र-पुत्रियों का सम्मानजनक तरीके से विवाह सम्पादित करवा सकें। हस्तगत मामले में भी स्वीकृत रूप से परिवादिनी एवं अपीलार्थी/अभियुक्त का विवाह सम्मेलन में सम्पादित हुआ था तथा प्रस्तुत हुई अभियोजन साक्ष्य से भी यह उभर कर सामने आया है कि सम्मेलन में दहेज का सामान एवं जेवरात इत्यादि सम्मेलन वालों द्वारा ही दिये गये थे, ऐसे में प्रथमदृष्टया स्वमेव ही दहेज की मांग किया जाना प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में औचित्यपूर्ण नहीं रह जाता है, विशेषतः जबकि अभियोजन साक्षीगण के कथनों में दहेज की मांग के सम्बन्ध में दी गई साक्ष्य में भी किसी प्रकार की साम्यता एवं एकरूपता नहीं रही है। जहां एक ओर दहेज में मोटर साईकिल की मांग किया जाना बताया गया है, वहीं दूसरी ओर सोने की चेन एवं पैसों की मांग किया जाना भी बताया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण में पी.डब्ल्यू.1 संजू स्वयं परिवादिनी है तथा पी.डब्ल्यू.4 नाथूलाल उसका पिता,

Authenticated Document

पी.डब्ल्यू.5 मूर्ति बाई उसकी माता एवं पी.डब्ल्यू.6 धनराज परिवादिनी का भाई है, जो चारों साक्षीगण हितबद्ध साक्षी के रूप में रहे है तथापि इनके कथनों में तात्विक बिन्दुओं पर गम्भीर विरोधाभास भी उभर कर सामने आये है, इसलिए इनकी साक्ष्य विश्वास करने के लिए सम्यक् एवं पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी साक्ष्य में अनेकानेक दोष, कमियाँ एवं विरोधाभास विद्यमान प्रकट हुये हैं, जिससे समग्र अभियोजन कथानक सन्देहास्पद हो जाता है। साक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ है कि स्वयं परिवादिनी के भाई पी.डब्ल्यू.6 धनराज ने ही यह भी स्वीकार किया है कि बच्चा होने से पूर्व उसकी बहन को अच्छा रखते थे किन्तु बच्चा होने के उपरान्त अचानक ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिससे अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा अचानक दहेज की मांग कर शारीरिक एवं मानसिक प्रताडना आरम्भ कर दी गई। साक्ष्य से यह भी परिलक्षित हुआ है कि विवाह के आठ वर्ष की कालावधि में से परिवादिनी पांच वर्षों तक अपने ससुराल में रही है और यदि ससुराल में उसके साथ दहेज की मांग की जाकर उसे प्रताड़ित किया जाता तो निश्चित रूप से उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाती अथवा अपने परिजनों एवं पड़ौसियों आदि को सूचित किया जाता किन्तु न तो इस सम्बन्ध में कोई प्रलेखीय स्थिति अभिलेख पर विद्यमान है और न ही किसी पडौस के किसी स्वतन्त्र साक्षी ने अभियोजन कहानी का अपनी साक्ष्य के माध्यम से समर्थन ही किया है। प्रकरण में स्वतन्त्र साक्षीगण के रूप में परीक्षित हुये साक्षीगण पी.डब्ल्यू.1 रामलाल और पी.डब्ल्यू.2 धनराज पक्षद्रोही घोषित हुये हैं तथा अभियोजन कहानी के विरूद्ध साक्ष्य देते हुये संजू का अपनी मनमर्जी से रामलक्ष्मण नामक व्यक्ति के साथ चले जाने का कथन किया है, जो अपीलार्थी/अभियुक्त का भी अपील का मुख्य आधार रहा है, जिसके अनुसार परिवादिनी संजू अपीलार्थी/अभियुक्त के मकान के सामने दुकान लगाने वाले रामलक्ष्मण की दुकान पर रात को 11 बजे जाती थी तथा उनके मध्य अवैध सम्बन्ध थे, इसी बात को लेकर उनके मध्य विवाद था और उसका विरोध करने के कारण ही यह झूंठा प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया है। यद्यपि स्वयं परिवादिनी संजू पी.डब्ल्यू.3 ने न्यायालय में साक्ष्य के दौरान इस सुझाव को गलत होना बताया है किन्तु उसके भाई धनराज पी.डब्ल्यू.6 ने अपनी बहन का रामलक्ष्मण को जानने एवं उससे बातचीत करने के बारे में पता नहीं होना

Authenticated Document

व्यक्त किया है। उक्तानुसार प्रकट हुये तथ्यों के सन्दर्भ में विवाह विषयक संवेदनशील सम्बन्धों में वैचारिक मतभेद एवं विवाद होना आम बात है तथा पति-पत्नी के बीच विवाद होना सामान्य प्रक्रिया है किन्तु उसकी परिणति इस रूप में होगी, यह विधिक अपेक्षा नहीं है, ऐसे में प्रस्तुत हुई उक्त साक्ष्य के सूक्ष्म विवेचन के परिप्रेक्ष्य में इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि परिवादिनी संजू ने मिथ्या, काल्पनिक व निराधार तथ्यों का अवलम्ब लेते हुए उक्त परिवाद प्रस्तुत किया हो।

19. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादिनी संजू के साथ कब, कहाँ, किस प्रकार दहेज की मांग कर मारपीट कर प्रताड़ित किया, इस सम्बन्ध में भी अभियोजन की कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं रही है और अपीलार्थी/अभियुक्त का कृत्य विशेष एवं आचरण भी साक्ष्य में प्रकट नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में अभिलेख पर किसी प्रकार की कोई मान्य साक्ष्य विद्यमान नहीं है और न ही परिवादिनी का तथाकथित मारपीट का अभिकथन किसी प्रकार की कोई चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित है। परिवादिनी के साथ उसके पीहर गुहाटा में भी आकर अपीलार्थी/ अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग कर मारपीट किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित एवं स्थापित नहीं हो सका है, क्योंकि स्वयं परिवादिनी के पिता पी.डब्ल्यू.4 ने यह स्पष्ट कथन किया है कि रामपाल ने कभी भी उसके घर गुहाटा में आकर दहेज की मांग नहीं की, जबकि परिवादिनी गुहाटा में अपने पिता के घर में रहना बताती है। अभियोजन पक्ष के किसी भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी ने अपनी साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, जिससे भी समग्र घटनाक्रम सन्देहपूर्ण हो जाता है तथा परिवादिनी द्वारा बताई गई घटना नैसर्गिक एवं स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती है। विधि की यह अपेक्षा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली साक्ष्य पूर्णतः सत्य, सुदृढ़, सटीक एवं सकारात्मक होनी चाहिये, जिससे कि दोषसिद्धि का एकमात्र निष्कर्ष निकाला जा सके, किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसी साक्ष्य का नितान्त अभाव रहा है। इस प्रकार किसी भी रूप में यह प्रकरण धारा 498 ए. भा.दं.सं. की परिधि में नहीं आता।

20. जहाँ तक शेष रहे आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 406 भा.दं.सं. का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में धारा-405 भा.दं.सं. में ‘‘आपराधिक न्यास भंग‘‘

के अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुरूप किसी व्यक्ति को न्यस्त की गई सम्पत्ति को यदि वह मांगने पर नहीं लौटाता है अथवा उसका बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर लेता है अथवा उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित या व्ययन कर लेता है, तो ऐसे कृत्य को आपराधिक न्यास भंग की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि प्रस्तुत हुई अभियोजन साक्ष्य के विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में परिवादिनी को दिया गया स्त्रीधन अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा छीनकर आपराधिक न्यास भंग किया गया हो, ऐसी कोई सुदृढ़, प्रमाणिक एवं सकारात्मक साक्ष्य भी अभिलेख पर विद्यमान नहीं है। इस कारण उसके द्वारा कथित स्त्रीधन का आपराधिक न्यास भंग किया जाना भी किसी भी रूप में प्रमाणित एवं स्थापित नहीं हो पाया है।

21. दाण्डिक विधि का यह स्थिर एवं सर्वमान्य सिद्धान्त है कि अभियोजन/परिवादी पक्ष को अपना पक्ष कथन युक्तियुक्त सन्देह से परे भलीभाँति प्रमाणित करना होता है और यदि कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो उनका लाभ सदैव ही अभियुक्त पक्ष को प्रदत्त किया जाता है किन्तु हस्तगत प्रकरण में अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है।

22. अतः प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होते हुए भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध करार देकर दण्डादिष्ट किये जाने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि की गई है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निष्कर्ष सम्पुष्ट किये जाने योग्य नहीं होने से यह दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर, अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जाना विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण है।

<u>आ दे श</u>

23. फलतः अभियुक्त/अपीलार्थी रामपाल की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक अपील स्वीकृत की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा दिनांक 22.01.2019 के निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी/अभियुक्त रामपाल के विरूद्ध धारा 498 ए एवं 406 भा.दं.सं. के अधीन पारित दोषसिद्धि एवं उसके फलस्वरूप पारित दण्डादेश के निष्कर्ष को

Authenticated Document

अपास्त किया जाकर उसे उक्त आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए एवं 406 भा.दं.सं. से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्त के जमानत-मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

24. इस निर्णय की प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली विचारण न्यायालय को अनुपालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जाये।

(संदीप कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

25. निर्णय आज दिनांक 01 जून, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सेशन न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

Authenticated Document

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.01 12:49:40 IST